प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

- यह योजना PMEGP के तहत नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
- यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KYC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
- राज्य स्तर पर, यह योजना राज्य KVIC निदेशालयों, स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड्स (KVIBs), डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर (DIC) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

PMEGP

Prime Minister's Employment Generation Programme

आवेदन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

- PMEGPA के तहत केवल नई परियोजनाओं को मंजूरी के लिए विचार किया जाता है।
- 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए।
- न्यूनतम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए।
- मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रु.10 लाख से अधिक की लागत वाली परियोजनाएं सम्मिलित होगी।
- व्यापार / सेवा क्षेत्र में रु.5 लाख से अधिक की लागत वाली परियोजनाएं सम्मिलित होगी।
- BPL से संबंधित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यह सुनिश्चित करवाना होगा कि उन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं लिया है।
- सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत रजिस्टर्ड संस्थान; प्रोडक्शन कोआपरेटिव सोसायटी और चैरिटेबल ट्रस्ट भी एलिजिबिल हैं।

PMEGP

Prime Minister's Employment Generation Programme

योजना के लाभ

- प्रोजेक्ट/यूनिट की अधिकतम लागत
- मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए - ₹25 लाख एवं
- व्यापार/सेवा क्षेत्र के लिए - ₹10 लाख है।
- PMEGP के तहत लाभार्थी की सब्सिडी दर की श्रेणियां (ऑफ़ प्रोजेक्ट कॉस्ट):
- प्रोजेक्ट/यूनिट का क्षेत्र स्थान-
- सामान्य श्रेणी 15%,
- शहरी : 25%,
- ग्रामीण विशेष : 25%,
- शहरी:35%,
- ग्रामीण क्षेत्र कई लोगो को सम्मिलित करता है जिसमें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, NER, पहाड़ी और बॉर्डर क्षेत्रों के लोग आदि सम्मिलित है।

PMEGP

Prime Minister's Employment Generation Programme